न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री भगवत सिंह देवल

वाद प्रार्थना पत्र संख्या 10/14 तारीख रजू 28.04.14

राजस्थान सरकार जरिए उपजिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर। –प्रार्थी

बनाम

रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार निवासी फूसोदा तहसील सवाईमाधोपुर । –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि काआबंटन),नियम,1970

:निर्णय:: दिनांक 23/06/16

यह प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 228/11 उनवानी रामदेवा बनाम सरकार में पारित में निर्णय दिनांक 10.03.2014 द्वारा अदालत हाजा द्वारा आलोच्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.08.83 को निरस्त करते हुए इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि " आबंटी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस तथ्य की विधिवत् जांच करें कि जिला कलेक्टर के आदेश के परिपेक्ष्य में आबंटित भूमि की किस्म चारागाह से सिवाय चक परिवर्तन करने के बारे में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 5.06.76 किस प्रकार अवैधानिक है? तथा स्पष्ट रूप से विवेचन करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थीने जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत किये तथा बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान् राजकीय ओभभाषक ने बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 997/6 दिनांक 5.11.75 को आबंटित की गई उस समय चारागाह भूमि थी। चारागाह भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि है जिसके संबंध में आबंटन करने से पूर्व कोई जांच नही की गई है तथा ऐसी वर्जित भूमिया आबंटन नियमो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने बहस में यह भी तर्क दिया कि नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 10.06.76 चारागाह से सिवाय चक भूमि का तस्दीक किया गया है तथा आबंटन होने से पूर्व आबंटित भूमि चारागाह नही थी इस बाबत कोई प्रमाण आबंटी द्वारा पेश नही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वक्त आबंटन आबंटित भूमि को किस्म चारागाह थी तथा आबंटन नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अन्य आबंटियों को आबंटित भूमि भी इसी आधार पर निरस्त हेा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आबंटी अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 5.11.75 को आराजी खसरा नम्बर997/6 वाके ग्राम फुसोदा का किया गया आबंटन निरस्त किया जावे।

विद्वान् वकील अप्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि आबंटित भूमि को चारागाह से सिवाय चक में परिवर्तित किये जाने का जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का आदेश, जिसके परिपेक्ष्य में नामान्तरकरण संख्या 34 तस्दीक कियागया है किस प्रकार से अवैधानिक है, का कारण स्पष्ट नही होने से अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है तथा अवैधानिक होने कारण बताने के निर्देश दिये है जिसकी पालना में कोई कारण राजकीय अभिभाषक बता नही पाये है तथा आज भी भूमि राजस्व रिकार्ड में (सिवायचक) बारानी –3 अंकित है। आबंटन से पूर्व आबंटित भूमि की किस्म चारागाह नही थी जो रिपोर्ट पटवारी से स्पष्ट है ,अप्रार्थी को किया गया आबंटन विधि सम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को दिनांक 5.11.75 को किया गया आबंटन यथावत् रखा जावे।

विद्वान् वकील उभय पक्ष की बहस सुनने तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित आदेशदिनांक 10.03.14 में दिय गये निर्देशों की पालना में आवंटन संबंधी

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अप्रार्थी ने भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर आबंटित भूमि के संबंध में पटवारी की रिपोर्ट अंकित की गयी है जिसके अनुसार आबंटित भूमि को तत्समय बारानी–3 अंकित किया है तथा जिसके आधार पर ही आंबंटन सलाहकार समिति की सिफारिस पर अप्रार्थीको भूमि का आबंटन किया गया है । इसके अतिरिक्त आबंटन पत्रावली में सम्वत् 2032–2035 की खसरा गिरदावरी संलग्न है जिसके आधार पर भी अप्रार्थी को आबंटित भूमि खसरा नम्बर 997/6 की किस्म बारानी–3 अंकित है तत्पश्चात् पटवारी ने इसी भूमि को सन् 1980 में चारागाह होना बताया है जिसका कोई कारण या प्रमाण अंकित नही किया है न ही कोई प्रमाण वर्तमान में राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि आबंटी अप्रार्थी को दिनांक 5.11.75 तथाकथित आबंटित भूमि की किस्म चारागाह रही हो या नामान्तरकरश संख्या 34 क्ष्रा वारागाह से परिवर्तित की गयी भूमि सिवाय चक अवैधानिक हो। ऐसी स्थिति में आबंटी को किये आबंटन में चारागाह भूमि का आबंटन नही होना पाया जाता है तथा आबंटी के आबंटन में कोई अनियमितता नही है तथा विद्वान् वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई खसरा गिरदावरी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार आबंटी को दिनांक 5.11.75 को आबंटित भूमि जिसका नवीन खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.66 व 1347 रकबा 0.60 है,पर राजस्व रिकार्ड में आज भी गैर खातेदार की हैसियत से काबिज रहकर काश्त करता आरहा है। अतः राजकीय अभिभाषक माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार आबंटित भूमि को चारागाह तथा नामान्तरकरण संख्या 34 को अवैधानिक साबित करने में विफल रहे है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा आलोच्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.03.14 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जांच की जाने पर पाया गया कि अप्रार्थी आबंटी को दिनांक 05.11.1975 को आबंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने वाली भूमि प्रतिबंधित भूमि वर्ग की नही थी तथा तत्पश्चात् जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की पालना में तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 10.06.76 के अवैधानिक होने का भी कोई कारण उपस्थित नही है। ऐसी अवस्था में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी आबंटी रामदेवा पुत्र रामनारायण कुम्हार के पक्ष में दिनांक 5.11.75 को ग्राम फुसोदा की आराजी खसरा नम्बर 997/6 रकबा 5बीघा (जिसके हाल खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.66 व 1347 रकबा 0.60 है) का किया गया आबंटन यथावत् रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2016 को लिखाया जाकर खुंले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भगवतसिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर।